कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक: 176 / 12-16 (उद्योग बंधु लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त , 2017 ।

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश मे अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा "Best Practices to improve the Business environment across states in India " विषय पर सभी राज्यों से उद्यम लगाये जाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित किये जाने के उद्देश्य से अपेक्षा की गयी है कि विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को प्रदेश मे भी लागू किया जा सके । उद्योग बन्धु द्वारा की गयी संस्तुतियों को Tree Noc प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे क्रियान्वित किया जा रहा है । विभिन्न संस्तुतियों के क्रम मे एतद द्वारा निम्न व्यवस्था की जाती है :-

1- प्रदेश मे Tree Noc आन लाईन प्राप्त किये जाने हेतु आन लाईन साफ्ट्वेयर परिचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा Tree Noc आन लाईन प्राप्त किया जाना, self certification, payment, tracking, monitoring इत्यादि प्रक्रियायें आन लाईन की जाती है ।

2- प्रदेश मे संरक्षित वन क्षेत्रों यथा नेशनल पार्को/सेंचुरी/टाईगर कारीडार इत्यादि मे Tree Noc दिया जाना प्रतिबन्धित है अतएव ऐसे क्षेत्रों का भली भाति परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत ही कोई कार्यवाही की जाती है । प्रमुख सचिव वन , उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या **434/14-5-2013 दिनांक 11.03.2013** मे दिये गये निर्देशों के क्रम मे वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 को सरलीकृत करते हुए कई प्रजातियों का पातन (Felling) करने की छूट प्रदान की गयी है । शासन को समय समय पर यह भी अवगत कराया गया है कि कभी कभी संवेदनशील प्रभागों मे निजी क्षेत्र की पातन अनुज्ञाओं का दुरूप्रयोग करके वन क्षेत्रों मे अवैध पातन किया जाता है । यह उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के सरलीकरण की मूल भावना एवं उद्देश्यों के भी विपरीत है । शासन द्वारा वनों एवं वन्यजीवों के प्राकृतवास की प्रभावी सुरक्षा करने एवं निजी क्षेत्रों के वृक्षों की पातन अनुज्ञाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :-

a- बहूमूल्य वृक्ष जैसे सागौन, खैर, साल एवं शीशम से सम्बन्धित पातन अनुज्ञाओं के मामले जिनमे 15 से अधिक वृक्षों की पातन अनुज्ञा का प्रार्थना पत्र दिया गया है , का निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं उनकी संस्तुति के आधार पर पातन अनुंज्ञा जारी की जाये ।

अत: Tree Noc प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण से पूर्व वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 मे निहित प्राविधानों, आनलाईन मानीटरिंग सिस्टम के आधार पर Computerized risk assessment के परिणाम को भी संज्ञान मे लिया जाये ।

3- Tree Noc प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे सम्बन्धित स्थल का फारेस्टर द्वारा निरीक्षण के लिये यथा सम्भव ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि सामान्य परिस्थिति मे एक फारेस्टर द्वारा एक ही स्थल का लगातार दो बार निरीक्षण न किया जाये ।

भवदीय,

(दिवाकर कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक:- 176/ समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- समस्त ज़ोनल/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश , उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(दिवाकर कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ